राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0/795/18/2024 दिनांकः 01 मई, 2024

सेवा में, **समयबद्ध/अनुस्मारक—द्वितीय**

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,
चौधरी राम सिंह कॉलेज ऑफ लॉ, नहल, अलीगढ़
(द्वारा महाविद्यालय लागिन, whatsapp एवं ई0मेल)
कालेज कोडः 2322

विषयः महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता, प्रबन्ध समिति तथा अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र दिनांकः 29 फरवरी, 2024 एवं अनुस्मारक संख्या आर0एम0पी0यू0/383/2024 दिनांकः 07 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें निर्देशित किया गया था कि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता, प्रबन्ध समिति तथा अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरान्त **नयी नियुक्ति/संविदा विस्तरण एवं सम्बद्धता की कार्यवाही दिनांकः 13 मार्च, 2024 तक** पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2. अत्यन्त खेद का विषय है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में दोनों पत्रों का आपके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है।

3. मा0 कुलपति जी के निर्देशानुसार अन्तिम रूप से आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदन, प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं सम्बद्धता हेतु आनलाईन प्रक्रिया **उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइटः— henoc.upsdc.gov.in** पर जाकर शासनादेश संख्या— 646/सत्तर—2—2024—16 (11)/2017 टी0सी0, दिनांकः 01 अप्रैल, 2024 के अनुपालन में **दिनांकः 10 मई, 2024 तक** प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करे **अन्यथा जिन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता समाप्त हो गयी है उन पाठ्यक्रमों में सत्र 2024—25 में प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।**

भवदीय,

डॉ0(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

101. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
102. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
103. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़।
104. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा महाविद्यालय कालेज लागिन एवं ई0मेल पर प्रेषित किये जाने हेतु।
105. गार्ड फ़ाईल।

01.05.24
उप कुलसचिव